समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।

(खनन शाखा)

रोहतास जिलान्तर्गत भण्डारित स्थल पर जप्त बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित भण्डारित स्थल पर जप्त बालू की नीलामी दिनांक–30.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय रोहतास सासाराम स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्तो के अधीन किया जाएगा। पूर्व में समाचार पत्र के माध्यम से निविदा प्रकाशन की गई थी। जिसमें शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण निदेशक, ख़ान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4657/एम0, पटना, दिनांक–06.09.2022 के आलोक में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

भण्डारित जप्त बालू के स्थल एवं मात्रा की विवरणी:–

क्र0	अनुमण्डल का नाम	अंचल	जप्त बालू का स्थल/अन्य स्थल पर जप्त भण्डारित बालू	लाईसेंस संख्या एवं अन्य स्थल	बालू की मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि (रू0 में)	अग्रधन राशि (सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत)
1	बिक्रमगंज	नासरीगंज	अमीयावर	K-12/2021	30000	8,40,000	2,10,000
2	बिक्रमगंज	नासरीगंज	अमीयॉवर	K-17/2021	19000	5,32,000	1,33,000
3	डिहरी	डिहरी	मौजा–गंगौली, खाता न0–763, खेसरा नं0–3005, (किस्म जमीन नहर रैयत सिंचाई विभाग बिहार, सरकार)	अंचल अधिकारी डिहरी एवं खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	83000	23,24,000	5,81,000
4	बिक्रमगंज	नासरीगंज	परूहार–2 बालूघाट के कलस्टर–10 घाट के धर्मकांटा बेदी धर्मकांटा प्रो0 बब्लू कुमार सिंह के पास एवं घाट की तरफ जाने वाले रास्ते के अगल बगल	खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	10000	2,80,000	70,000
5	डिहरी	अकोढ़ीगोला	अकोढ़ीगोला थानान्तर्गत ग्राम जतन बिगहा में	खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	21700	6,07,600	1,51,900
6	डिहरी	डिहरी	इन्द्रपुरी थानान्तर्गत ग्राम–सीता बिगहा में	खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	2430	68,040	17,010

आम नीलामी निम्न शर्तों के अधीन की जाएगीः–

1. डाक वक्ता को निर्धारित अग्रधन राशि के साथ ही अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आचरण प्रमाण–पत्र, GST निबंधन की अभिप्रमाणित प्रति तथा खनन बकाया नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र देना होगा।
2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र में स्थाई पता अंकित होना चाहिए साथ ही यह भी अंकित होना चाहिए कि उनके विरूद्ध संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं है। उक्त आचरण प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
3. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति/प्रतिष्ठान को डाक हेतु निर्धारित तिथि **24.05.2025** के संध्या 5 बजे तक सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि अग्रधन के रूप में Assitant Director, Mines & Geology, Rohtas, Sasaram के पदनाम से मान्यता प्राप्त बैंक द्वारा निर्गत रोहतास सासाराम में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट एवं अन्य वांछित कागजात (कंडिकानुसार) जमा करना होगा।
4. नीलामी के फलस्वरूप उच्चतम डाकवक्ता को उच्चतम डाक की राशि का आयकर की राशि–2.06% एवं जिला खनिज फाउन्डेशन की राशि–2% तथा जमीन संबंधित (रैयत) भुगतान तथा GST भुगतान का साक्ष्य जमा करना होगा।
5. सफल डाकवक्ता को डाक की तिथि से दो कार्य दिवस के अन्दर नीलामी की संपूर्ण राशि का भुगतान (अग्रधन की राशि समायोजित करते हुए) करना होगा। इसके पश्चात ही कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।
6. सफल डाकवक्ता को कार्यालय आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अन्दर भण्डारित स्थल से बालू हटा लेना होगा एवं संपूर्ण बालू उठाव होने तक इस अवधि में डाक में प्राप्त बालू के कस्टोडियन सफल (उच्चतम) डाकवक्ता ही रहेंगे।
7. सफल डाकवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर संपूर्ण राशि जमा करने में असफल रहने की स्थिति में उनकी अग्रधन की राशि जप्त करते हुए दूसरे सफल डाकवक्ता को नीलामीत राशि पर बालू बिक्री करने का मौका दिया जाएगा।
8. सफल डाकवक्ता को बालू के परिवहन हेतु वाहन के चालक को खनन विभाग द्वारा निर्गत प्रीपेड ई–चालान निर्गत करना होगा। जिसमें बालू की मात्रा एवं राशि भी अंकित रहेंगी।
9. जप्त बालू के लिए विहित प्रपत्र में एक माह का दूसरे माह के 15 तारीख तक मासिक विवरणी जिला खनन कार्यालय, रोहतास सासाराम में दाखिल करना होगा एवं बालू प्रेषण के लिए नियमानुसार पंजी संधारित करनी होगी।
10. जप्त बालू स्थल पर साईन बोर्ड लगाना होगा, जिसपर बालू बन्दोबस्तधारी/प्रबंधक का नाम एवं स्थाई पता, बालू स्थल का नाम एवं अवधि तथा विक्रय मूल्य अंकित होना चाहिए।
11. सफल डाकवक्ता को बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण नियमावली) 2019 यथा संशोधित 2024 के नियमों एवं शर्तों तथा पर्यावरणीय प्रावधानों का पालन करना होगा।
12. श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार श्रमिकों की सुविधा के लिए विश्राम, शेड, पेयजल आदि की व्यवस्था करनी होगी।
13. सफल डाकवक्ता को समाहर्त्ता द्वारा बालू प्रेषण के संचालन के संबंध में जनहित में दिये गये अन्य निदेशों का पालन करना होगा।
14. मार्ग से संबंधित कोई व्यावधान अथवा अन्यान्य कारण से बाधा उत्पन्न होने पर सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
15. डाकवक्ता भण्डारित जप्त बालू का आकलन डाक में भाग लेने से पूर्व स्वयं स्थल भ्रमण कर आश्वस्त होना होगा, बाद में किसी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।
16. नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा CLARIFICATION के लिए जिला खनन कार्यालय, रोहतास सासाराम (मो0–6206089961, 9955580611) से सम्पर्क किया जा सकता है।
17. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 के शर्तो एवं बन्धेजों का अनुपालन नहीं करने पर एवं अपरिहार्य कारण से किसी भी समय निविदा को रद् करने का सम्पूर्ण अधिकार समाहर्त्ता को सुरक्षित रहेगा।

समाहर्त्ता
रोहतास, सासाराम।

रोहतास जिलान्तर्गत भण्डारित जप्त बालू के नीलामी का निविदा प्रपत्र–

भण्डारित जप्त बालू का निविदा में अंकित क्रमांक–... एवं स्थल का नाम–..		
1	नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/कम्पनी का नाम	
2	भाग लेने वाले व्यक्ति के पिता/पति का नाम (कम्पनी की स्थिति में कम्पनी रजिस्ट्रेशन नम्बर)	
3	स्थायी पता	
4	स्थानीय पता/वर्त्तमान पता	
5	सम्पर्क सूत्र/(Contact No.)	
6	ई–मेल	
7	पैन कार्ड संख्या का (छायाप्रति संलग्न करें)	
8	आधार कार्ड संख्या का (छायाप्रति संलग्न करें)	
9	GST निबंधन संख्या का (छायाप्रति संलग्न करें)	
10	स्वामिस्व (Royalty)स्वच्छता प्रमाण/संबंधित शपथ पत्र संख्या/दिनांक	
11	सरकारी प्रतिष्ठानों का नाम एवं पता जिसका कार्य कर रहे हैं (यदि उससे संबंधित हैं)	
12	निबंधित ठेकेदार है तो निबंधन संख्या (प्रति संलग्न करें)	
13	निविदा हेतु चयनित जप्त भण्डारित बालू का ग्राम/स्थल का विवरणः–	
14	अग्रधन के रूप में सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या, तिथि एवं निर्गत बैंक का नाम	
15	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	

नोटः–(क) पैन कार्ड, आधार कार्ड, आचरण प्रमाण–पत्र, GST निबंधन ठेकेदारी, निबंधन से संबंधित साक्ष्यों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। (ख) खनन संबंधी बकाया रहित शपथ–पत्र मूल में संलग्न करेंगे। (ग) निविदा आवेदन एवं संलग्न कागजात बंद लिफाफे में जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम में जमा करेंगे।

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सभी बातें सत्य है तथा इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ।

निविदादाता का पूर्ण हस्ताक्षर,

नामः–

पदनामः–

मो0 नं0–

स्थानः–

दिनांकः–

बिहार सरकार

समाहरणालय, रोहतास, सासाराम।

(खनन शाखा)

रोहतास जिलान्तर्गत भण्डारित स्थल पर जप्त बालू की नीलामी हेतु अल्पकालीन आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित भण्डारित स्थल पर जप्त बालू की नीलामी दिनांक–30.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से समाहरणालय रोहतास सासाराम स्थित सभागार में खुले डाक के माध्यम से निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाएगा। पूर्व में समाचार पत्र के माध्यम से निविदा प्रकाशन की गई थी। जिसमें शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण निदेशक, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4657/एम0, पटना, दिनांक–06.09.2022 के आलोक में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

भण्डारित जप्त बालू के स्थल एवं मात्रा की विवरणीः–

क्र0	अनुमण्डल का नाम	अंचल	जप्त बालू का स्थल/अन्य स्थल पर जप्त भण्डारित बालू	लाईसेंस संख्या एवं अन्य स्थल	बालू की मात्रा (घनफीट में)	सुरक्षित जमा राशि (रू0 में)	अग्रधन राशि (सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत)
1	बिक्रमगंज	नासरीगंज	अमीयावर	K-12/2021	30000	8,40,000	2,10,000
2	बिक्रमगंज	नासरीगंज	अमीयॉवर	K-17/2021	19000	5,32,000	1,33,000
3	डिहरी	डिहरी	मौजा–गंगौली, खाता न0–763, खेसरा नं0–3005, (किस्म जमीन नहर रैयत सिंचाई विभाग बिहार, सरकार)	अंचल अधिकारी डिहरी एवं खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	83000	23,24,000	5,81,000
4	बिक्रमगंज	नासरीगंज	परूहार–2 बालूघाट के कलस्टर–10 घाट के धर्मकांटा बेदी धर्मकांटा प्रो0 बब्लू कुमार सिंह के पास एवं घाट की तरफ जाने वाले रास्ते के अगल बगल	खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	10000	2,80,000	70,000
5	डिहरी	अकोढ़ीगोला	अकोढ़ीगोला थानान्तर्गत ग्राम जतन बिगहा में	खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	21700	6,07,600	1,51,900
6	डिहरी	डिहरी	इन्द्रपुरी थानान्तर्गत ग्राम–सीता बिगहा में	खान निरीक्षक, रोहतास द्वारा जप्त	2430	68,040	17,010

नीलामी से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा CLARIFICATION के लिए जिला खनन कार्यालय, रोहतास, सासाराम (मो0–6206089961, 9955580611) से सम्पर्क किया जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट State.bihar.gov.in/prdbihar/rohtas.nic.in/notice/ पर देखा जा सकता है।

समाहर्त्ता
रोहतास, सासाराम।